विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 / 29 अग्रहायण, 1943 (शक्)

संख्या-64

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र के चतुर्थ भाग का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सातवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र के चतुर्थ भाग सोमवार, दिनांक 03 जनवरी, 2022 को विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054 में प्रारंभ होगा।

द्वितीय सत्र के चतुर्थ भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

विधान सभा की बैठक अस्थायी तौर पर 03 एवं 04 जनवरी 2022 के लिए निर्धारित की गई है। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ायी जा सकती है।

बैठक का समय:

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू होगी और तब तक चलेंगी जब तक कि उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त नहीं हो जाता। गणपूर्ति की घंटी नियत समय से **05 मिनट पूर्व** बजेगी तािक सदस्य अपना आसन ग्रहण कर सकें।

फेस मास्क पहनना और पहचान पत्र प्रदर्शित करना :

कोविड—19 वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कोविड—19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क पहनें और अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी का पालन करें। माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे फेस मास्क पहन कर रखें तथा अपना पहचान पत्र साथ लाएं और प्रदर्शित करें, जिससे विधानसभा परिसर में उनको ठीक से पहचानने में भी मदद मिलेगी।

कोविड—19 (आरटी—पीसीआर/एंटीजन) की अनिवार्य जाँच :

माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सभी माननीय सदस्यों को अनिवार्य रूप से कोविड—19 टीकाकरण के लिए अंतिम प्रमाण पत्र या कोविड—19 जाँच रिपोर्ट जो 03.01.2022 को सत्र शुरू होने से 48 घंटे से पहले जारी नहीं की गई है, की जाँच रिपोर्ट साथ लेकर आना अनिवार्य है। माननीय सदस्य अपने स्तर पर जाँच करवा सकते हैं। कोविड—19 की जाँच सुविधा विधान सभा सचिवालय में समिति कक्ष संख्या—01 में दिनांक 03.01.2022 को प्रातः 09:30 बजे से 11:30 बजे तक उपलब्ध होगी।

बैठने की व्यस्वथाः

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सदन में सदस्यों के बैठने की वर्तमान व्यवस्था लागू नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय उपाध्यक्षा, माननीय मुख्य सचेतक तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए आसन आरक्षित रहेंगें। माननीय सदस्य सदन में "पहले आएं, पहले पाएं" के आधार पर आसन ग्रहण करेंगे।

प्रश्नों की सूचनाएँ:

सातवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र के चतुर्थ भाग के लिए प्रश्नों की सूचनाएँ तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनांक 03 एवं 04 जनवरी, 2022 को होगा।

द्वितीय सत्र के चतुर्थ भाग के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन (नियम-37):

मंत्रियों द्वारा द्वितीय सत्र के **चतुर्थ** भाग में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है:—

| क्रम सं. | विभाग | बैठक की तिथि | कॉलम—2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि (अप. 03.00 बजे तक) | मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 05.00 बजे) |
|----------|---|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | प्रशासनिक सुधार, विकास, शिक्षा, रोजगार, उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, विधि न्याय एवं विधायी मामले, राजस्व, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, सर्तकता, परिवार कल्याण, खाद्य संरक्षण, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, जेल, श्रम, भूमि एवं भवन, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, गृह, उद्योग, | 03.01.2022 सोमवार | 22.12.2021 बुधवार | 22.12.2021 बुधवार |
| 2. | कला, संस्कृति एवं भाषा, सहकारिता, विल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, निर्वाचन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवन, आबकारी, वित्त, खाद्य एवं आपूर्ति, गुरुद्वारा चुनाव एवं प्रशासन, सूचना एवं प्रचार, योजना, | 04.01.2022 मंगलवार | 23.12.2021 वीरवार | 23.12.2021 वीरवार |

| | • | पर्यटन, | | 22 | |
|---|---|-----------------------------|---------|----|---|
| 1 | • | व्यापार एवं कर, | | | |
| | • | शहरी विकास, | | | |
| | | ऊर्जा | | | |
| | • | जल (दिल्ली जल बोर्ड) | | | |
| | • | सामान्य प्रशासन विभाग, | | | |
| | • | सेवाएं, | | | * |
| | • | समाज कल्याण, | | | |
| | • | अनुसूचित | | | |
| | | जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा | Į. | | |
| | | वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, | | | |
| | • | महिला एवं बाल विकास | green . | | |

टिप्पणी:-

- 1. एक सदस्य एक दिन के लिए पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा {नियम-36 (I)}।
- 2. प्रत्येक प्रश्न मुख्यतः एक ही विभाग से संबंधित होना चाहिए {नियम-31 (xxii)}।
- 3. अत्यधिक लम्बे प्रश्नों और / अथवा अत्यधिक सूचना माँगने वाले प्रश्नों को नियमों के अनुकूल संपादित कर दिया जाएगा।
- 4. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दर्शाये गए यदि किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3. 00 बजे तक है।
- 5. जहाँ प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार—पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहाँ ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- 6. अगर एक ही तरह के विषय पर कई प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त होंगी तो उन्हें इकट्ठा (क्लब) कर दिया जाएगा।
- 7. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्रथामिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 8. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष (कमरा नं0 54) में दिये गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित है।
- 9. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अध्याय –VII का अवलोकन करें तथा सूचनाओं के अस्वीकृत होने से बचने के लिए इसके प्रावधानों का पालन करें।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम—280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व कार्यदिवस को अपराहन 05.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग उस दिन पूर्वाहन 09.30 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी, जिस दिन मामले को उठाया जाना है।

बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है। माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8—10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रकिया:

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम—258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:—
 - 1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा नोटिस शाखा में ही दी जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय—समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुली रहेगी।

2. नोटिस शाखा में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएँ अगले

कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।

- 3. जब सदन की बैठक हो रही हो तो कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सूचनाएँ उप—नियम(1) के अंतर्गत प्राप्त होंगी, उनकी प्रतिलिपि सिचव द्वारा सदस्यों में अगले दिन तक वितरित कर दी जाएँगी।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा की नोटिस शाखा में जमा कराना चाहिए। **नोटिस शाखा कमरा नंबर 46 में स्थित है।**
- (ग) विधान सभा की नोटिस शाखा में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा की नोटिस शाखा ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं / अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएँ न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी / शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ड.) विधान सभा की नोटिस शाखा कार्यालय समयानुसार खुली रहेगी।

आगंतुकों का निषेध :

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 03 जनवरी, 2022 से होने वाले सातवीं विधानसभा के द्वितीय सत्र के चतुर्थ भाग में कोविड—19 महामारी के कारण दर्शकों / आगंतुकों को विधानसभा परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज कुमार सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Monday, 20 December 2021/29, Agrahayana, 1943 (Saka)

No. 64

COMMENCEMENT OF FOURTH PART OF SECOND SESSION OF THE SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Fourth part of Second session of Seventh Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, 03rd January, 2022 at 11:00 A.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

<u>ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING FOURTH</u> PART OF SECOND SESSION:

Sitting of the Legislative Assembly has been tentatively fixed for 03 and 04 January 2022. Subject to the exigencies of business, the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The sitting of Legislative Assembly will commence at 11:00 AM and will continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung 05 Minutes before the time stipulated above to enable Members to take their seat.

WEARING OF FACE MASK AND DISPLAY OF IDENTITY CARDS:

In view of the prevailing COVID-19 pandemic situation, Hon'ble Members are requested to wear face mask and practice social distancing compulsorily to contain the spread of COVID-19 pandemic. Hon'ble Members are also requested to carry and display their Identity Cards while wearing face masks which would also help in identification in Legislative Assembly Complex.

MANDATORY TESTING OF COVID-19 (RT-PCR/ANTIGEN)

Hon'ble Speaker has directed that all Hon'ble Members are compulsorily required to carry Final Certificate for Covid-19 vaccination or otherwise a Covid-19 test report issued not earlier than 48 hours prior to the commencement of session on 03/01/2022. Hon'ble Members may get RT-PCR done at their own level. The facility for Rapid-Antigen Covid-19 test in the Assembly Secretariat shall be available in Committee Room-I on 03/01/2022 between 9:30 AM to 11:30 AM.

SEATING ARRANGEMENT:

Hon'ble Members are informed that keeping in view the social distancing being practiced on account of COVID pandemic, the existing Seating Arrangement will not be applicable in the Session. Seats shall be reserved for Hon'ble Chief Minister, Hon'ble Deputy Chief Minister, Hon'ble Ministers, Hon'ble Deputy Speaker, Hon'ble Chief Whip and Hon'ble Leader of Opposition. Hon'ble Members shall take their seat in the House on first come first served basis.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Fourth Part of Second Session will be received with immediate effect. As per the directions of Hon'ble Speaker, the Question Hour will be held on 03 and 04 January, 2022.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FOURTH PART OF SECOND SESSION (RULE 37):

For the Fourth Part of Second session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

| S.No. | Group of Departments | Date of Sitting | Last Date for receipt of questions for the Departments in Col.2 (Up to 3.00 PM) | Date of holding balloting for determination of priority for Oral Questions (At 5.00 PM) |
|-------|---|-----------------------|--|--|
| 1. | Administrative Reforms Development Education Employment Higher Education Information Technology Irrigation & Flood Control Law, Justice & Legislative Affairs Revenue Training & Technical Education Vigilance Family Welfare Food Safety Medical & Public Health Jail Labour Land & Building Transport PWD Home Industries | 03.01.2022 Monday | 22.12.2021 Wednesday | 22.12.2021 Wednesday |
| 2. | Art, Culture & Language Cooperative DUSIB Election Environment, Forest & Wild Life Excise Finance Food & Supplies | 04.01.2022 Tuesday | 23.12.2021 Thursday | 23.12.2021 Thursday |

| | l | |
|--|---|--|
| Gurudwara Election & | | |
| Administration | | |
| • Information & Publicity | | |
| | | |
| • Planning | | |
| Tourism | | |
| • Trade & Taxes | | |
| Urban Development | | |
| • Power | | |
| • Water (DJB) | | |
| General Administration | | |
| Department | | |
| • Services | | |
| Social Welfare | | |
| • Welfare of SC,ST, OBC& | | |
| Minorities | | |
| Women & Child | | |
| Development | | |

Note:

- (1) A Member may give notice of only five questions for a given day {Rule-36 (1)}.
- (2) Each question should primarily relate to one Department only {(Rule-31 (xxii)}.
- (3) Lengthy questions and/or questions seeking information on different subjects shall be edited to conform to the Rules.
- (4) Members may kindly note that if Notice of question is received after the prescribed deadline, such a Notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be up to 3.00 P.M. of the last date of receipt of Questions for Departments as shown in Column 4 above.
- (5) Where the Questions draws a reference to a news item published in a national or local daily, the Question in order to be admissible must be accompanied by the relevant selfattested clipping of the news items. The Questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.
- (6) The clubbing of Questions will be done in case several Notices of Question on the same subject matter are received.
- (7) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of Questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (8) Balloting will be held in the room of the Secretary (LA), Room No.-54, as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (9) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure & Conduct of Business for further details and abide by its provisions to avoid disallowing of Notices.

SPECIAL MENTION UNDER RULE-280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule-280 may give Notice of the same by 05:00 P.M. on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 Notices will be held in the room of the Secretary, Legislative Assembly at 09.30 A.M.

Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any deviation will be disallowed and treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the Members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
 - (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Branch between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A notice received in the Notice Branch after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
 - (3) While the House is sitting, copies of Notices except of cut motions, received under sub-rule (1) shall be circulated by the Secretary to members by next day.
- (b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Branch. THE NOTICE BRANCH IS LOCATED IN ROOM NO. 46.
- (c) All notices delivered in the Assembly Notice Branch are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Branch is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Branch shall remain open during office hours.

PROHIBITION ON VISITORS

Hon'ble Members are hereby informed that Hon'ble Speaker has directed that no visitors will be allowed during the Fourth Part of Second Session of the Seventh Legislative Assembly commencing from 03 January 2022 in the Legislative Assembly Complex on account of COVID-19 pandemic.

Raj Kumar Secretary